



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड  
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी (RTI)/निदेशक (प्र. व का.)  
कमरा न० 201, वरुणालय फेज-II, करोल बाग,  
नई दिल्ली -110 005, दूरभाष नः 2354479

क्रमांक DJB/FAA-RTI/Appeal No. 352/2015/ 31501R

दिनांक : 08.07.2015

### आदेश

इस आदेश द्वारा श्री गुलाम साबिर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत अपील का निपटान किया गया ।

आज दिनांक 08.07.2015 को उपरोक्त केस की सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित हुए। प्रशासन की ओर से श्री अभित कुमार जैन, AC(G)-II, PIO उपस्थित हुए।

जन सूचना अधिकार के अंतर्गत किए गए आवेदन का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि अपीलकर्ता को उचित जवाब प्राप्त नहीं हुआ अतः प्रश्न संख्या 03,07,08,09,12,14 एवं 15 के संदर्भ में AC (G)-II, PIO को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को उचित /स्पष्ट जवाब 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये। जहाँ तक आर.टी.आई. में पूछे गए अन्य प्रश्नों का संबंध है, अपीलकर्ता को समुचित जवाब जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है।

इस प्रकार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरांत जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता केंद्रीय सूचना आयोग से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है:-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
क्लब बिल्डिंग (पोस्ट ऑफिस के पास),  
ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली 110067,  
फोन नं० 1126161796

ह०/-  
( यू. बी. त्रिपाठी )  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री गुलाम साबिर,  
म.न. सी - 132, गली नं० 8, नार्थ घोंडा  
दिल्ली - 110 053.

प्रतिलिपी :

- 1 जन सूचना अधिकारी - सहायक आयुक्त (सामान्य)-II
- 2 E.E(EDP)-DJB website पर अपलोड करने हेतु ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी



अ.न. व

10/07/15

11/07/15